



आदेश

उप-कार्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य को उनके नामों के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व आदान-प्रदान की शक्तियां तत्काल प्रभाव से दी जाती हैं:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान-प्रदान शक्तियां दी जाती है।	जिस संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान-प्रदान शक्तियां दी जाती है।	रिमाकर्स
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुशक (पलवल)।	श्री विनोद कुमार, प्रधानाचार्य, वर्ग 'क', राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथीन।	यह कार्य उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त दिया जाता है तथा इस कार्य के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा, जब तक वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहांगीरपुर (झज्जर)।	श्री, अनील दलाल प्रधानाचार्य, वर्ग 'क', राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल।	-यथो-
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाली एट फरीदाबाद।	श्री, गजेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, वर्ग 'क', राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद।	-यथो- श्री मुकेश भारद्वाज, प्रधानाचार्य की दिनांक 28.2.2017 को सेवानिवृत्त होने उपरांत यह आदेश दिनांक 1.3.2017 से प्रभावित होंगे।
4	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भापड़ौदा (झज्जर)।	श्री आनन्द कुमार, शिक्षुता प्लेसमेंट अधिकारी, वर्ग 'ख', राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक।	-यथो- श्री आनन्द कुमार, प्रधानाचार्य को आदेश दिये जाते हैं कि वह सर्वप्रथम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक में शिक्षुता प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करे तत्पश्चात ही उक्त आदेश लागू होंगे।

दिनांक: 23.02.2017

अंशज सिंह
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्र० केसी/टीई/99/158/डी.डी.ओ/स्थापना-II/ 8626

दिनांक: 27/2/17

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. संयुक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. संयुक्त निदेशक (मशीनरी)।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
4. सम्बन्धित खजाना अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बारे।
6. सम्बन्धित अधिकारी

Bhawre
सहायक निदेशक (स्थापना-II)
कृते:- निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।